# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 218/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/343

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1.गिरधारीराम पुत्र सुखदेव | | 1.मांगीलाल पुत्र बालूराम |
| 2.टीकमाराम पुत्र सुखदेव | | 2.अनोपाराम पुत्र चूनाराम |
| 3.भागीरथ पुत्र सुखदेव | | 3.अमराराम पुत्र चूनाराम |
| 4.लालचंद पुत्र हड़मानाराम | | 4.कमा पत्नी चूनाराम |
| 5.संतोष पत्नी हनुमानाराम | | 5.दीपाराम पुत्र चूनाराम |
| 6.सूरजमल पुत्र सुखदेव | | 6.पपाराम पुत्र चूनाराम जाति राईका नाबालिग जरिए कुदरती वली माता कमा पत्नी चूनाराम जाति राईका |
| जाति पालीवाल निवासी रोड़वा खुर्द तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा | | 7.सताराम पुत्र चूनाराम |
| | | 8.हमीराराम पुत्र केसाराम |
| | | 9.कोजाराम पुत्र रेवतराम |
| | | 10.ढलकी पत्नी तोलाराम |
| | | 11.तिलाराम पुत्र जेठाराम |
| | | 12.देवाराम पुत्र गिरधारीराम |
| | | 13.पत्ताराम पुत्र रेवतराम |
| | | 14.पप्पूदेवी पत्नी भोमाराम |
| | | 15.भोमाराम पुत्र जेठाराम |
| | | 16.मीमो पत्नी रेवतराम |
| | | 17.मोहनराम पुत्र रेवतराम |
| | | 18.गोपीलाल पुत्र धनराज |
| | | 19.टीपूदेवी पत्नी धनराज |

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

20.मांगीलाल पुत्र धनराज

21.लूणाराम पुत्र धनराज

22.मोहनलाल पुत्र किरपाराम

23.लक्ष्मीनारायण पुत्र किरपाराम

जाति पालीवाल निवासी रोडवा खुर्द तहसील कल्याणपुर

24.अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा

25.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति–

1.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2.विप्रार्थी एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

## आदेश

दिनांक 18.11.2024

**1.**संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रोड़वा खुर्द पटवार हल्का थूंबली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 190,193 व 345/193 कुल क्षेत्रफल 1.5944 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रोड़वा खुर्द पटवार हल्का थूंबली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 190,193 व 345/193 कुल क्षेत्रफल 1.5944 हैक्टयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

**2.**प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

**उपखण्ड अधिकारी**
**(S.D.O.) बालोतरा**

**3.**हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रोड़वा खुर्द पटवार हल्का थूंबली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 190,193 व 345/193 कुल क्षेत्रफल 1.5944 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम रोड़वा खुर्द पटवार हल्का थूंबली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 190,193 व 345/193 कुल क्षेत्रफल 1.5944 हैक्टयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

**4.**हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रोड़वा खुर्द पटवार हल्का थूंबली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 190,193 व 345/193 कुल क्षेत्रफल 1.5944 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 28.6.2024 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। केवलमात्र सेढ पड़ौसी द्वारा आपति किए जाने पर ही विवाद होना लिखा गया,जो कि न्यायिक द्वष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है,क्योकिं यदि विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होता,तो रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन करते कि किस दिशा की सीमा को लेकर क्या विवाद है,जो कि रिपोर्ट मे ऐसा कंही नही लिखा गया नहीं है। इस कारण न्यायालय हाजा विवादित आराजी की

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सीमाओं को लेकर विवाद होनी की रिपोर्ट को लेकर आश्वस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

**5.**उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

## —:आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रोड़वा खुर्द पटवार हल्का थूंबली तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 190,193 व 345/193 कुल क्षेत्रफल 1.5944 हैक्टयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

18/11/24

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा